न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 95/2017 राजस्व अपील

1. गोपीराम पुत्र रामपाल जाति मीना निवासी ग्राम निचूनियां तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा ।

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व आदेश योग्य अधिनस्थ नायब तहसीलदार तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा दिनांक 30.08.2017 पत्रावली संख्या 43/2017 शीर्षक सरकार बनाम गोपीराम अन्तर्गत धारा 75 रा.भू.रा. अधिनियम

उपस्थिति : श्री बृजमोहन गौड, अधिवक्ता अपीलान्ट उप0।
: पैरोकार सरकार उपस्थित।

:– निर्णय :– दिनांकः 27.11.2017

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार रामगढ पचवारा द्वारा पटवारी हल्का गोपालपुरा के प्रतिवेदन पर अपीलान्ट को आराजी खसरा नं. 199/18 रकबा 4 बीघा किस्म चारागाह व आराजी खसरा नं. 191/17 रकबा 4 बीघा सिवायचक भूमि वाके ग्राम निचूनियां तहसील रामगढ पचवारा पर संवत 2074 में अतिक्रमण कर काश्त करने का दोषी करार देकर आदेश दिनांक 30.08.2017 द्वारा लगान की 50 गुना शास्ति एवं 30 दिवस के सिविल करावास के दण्ड से दण्डित फरमा दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 30.08.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि नायब तहसीलदार ने अपीलान्ट को दिनांक 21.08.2017 को न्यायालय में तलब करने पर अपीलान्ट ने तहसील कार्यालय में उपस्थित होकर निवेदन किया की

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

मेने चारागाह भूमि पर कोई अतिक्रमण नही किया है। सिवायचक भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा 50 वर्ष पूर्व से चला आ रहा है। अपीलान्ट के पक्ष में उक्त भूमि के नियमन होने की अनुशंषा भी कई बार की जा चुकी है। अपीलान्ट ने अपने पक्ष में अभिलेखो की प्रतियां भी नायब तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत की गई। किन्तु फिर भी अपीलान्ट को अर्थदण्ड एवं सविलि कारावास के दण्ड से दण्डित फरमा दिया गया है। अपीलान्ट की खातेदारी भूमि खसरा नं. 260 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा किस्म चाही जो ग्राम जीतपुर के पास स्थित है। अपीलान्ट की भूमि खसरा नं. 260 एवं जीतपुर ग्राम की सीमा खसरा नं. 260 के बाद दक्षिण में आम रास्ता से विभाजित है। ग्राम पंचायत कालूवास ने अपीलान्ट की खातेदारी भूमि में जबरन सडक निर्माण करवा दिया एवं आम रास्ता की भूमि पर जीतपुर के निवासीयान के अतिक्रमण को नही हटवाकर अपीलान्ट की भूमि की डोल तुडवाकर सडक निर्माण कर अपीलान्ट की भूमि की स्थिति को खराब कर एक लाख रूपये का नुकसान अपीलान्ट को पहुचाया, जिसके सम्बन्ध में अपीलान्ट द्वारा ग्राम पंचायत एवं राजस्थान सरकार को सूचना पत्र प्रस्तुत करने के बाद क्षतिपूर्ति हेतु वाद न्यायालय सिविल न्यायाधीश लालसोट में प्रस्तुत किया है। जिसमें तहसीलदार रामगढ पचवारा स्वयं पक्षकार है। अपीलान्ट से उक्त कारणवश कार्यवाही प्रतिशोध वश की है जो खण्डनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 30.08.2017 विधि प्रकिया नियम एवं न्याय के सामान्य सिद्धान्तो के विपरीत क्षेत्राधिकार का सम्यक उपयोग किये बिना पारित किये जाने कारण निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार रामगढ पचवारा द्वारा पारति प्रश्नगत आदेश दिनांक 30.08.2017 निरस्त फरमावे।

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलान्ट अतिक्रमी द्वारा आराजी खसरा नं. 199/18 रकबा 4 बीघा किस्म चारागाह व आराजी खसरा नं. 191/17 रकबा 4 बीघा गैर मुमकिन नला सिवायचक भूमि वाके ग्राम निचूनियां तहसील रामगढ पचवारा पर संवत 2074 में तिल, ग्वार, बाजरा व मूगफली काश्त कर अतिक्रमण करने पर अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 30.08.2017 द्वारा लगान की 50 गुना शास्ति एवं 30 दिवस के सिविल करावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार अपीलांट प्रश्नगत भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी है।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

अपीलान्ट के विरूद्ध भू.राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर उक्त प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा प्रश्नगत सिवायचक भूमि को नियमन योग्य बताया गया है। जबकी उक्त भूमि की किस्म पटवारी हल्का द्वारा गैर मुमकिन नला अंकित की गई है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 27.11.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा